



संस्थान प्रबंधन समिति
शासकीय देवनारायण अग्रवाल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आरंग
जिला-रायपुर (छ.ग.)



E-Mail-itiarang@rediffmail.com

Phone No. 8839676937

क्रमांक / औप्रसं / आरंग / आईएमसी / प्रशि / मेह.प्रव. / 2024 /

/ आरंग दिनांक / 05 / 2024

प्रेस विज्ञप्ति

संस्थान प्रबंधन समिति शासकीय देवनारायण अग्रवाल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आरंग जिला-रायपुर (छ.ग.) संस्था में नवीन व्यवसाय कोपा - 02 यूनिट एवं वेल्डर - 02 यूनिट खोलने के लिए अपने स्तर से उक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारियों कि पूर्ति हेतु मेहमान प्रवक्ताओं के आमंत्रण के लिए आवेदन दिनांक:- 10/06/2024 समय-शाम 5:00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आरंग, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़ पिन नम्बर-493441 में जमा किये जा सकते हैं। पदों की जानकारी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है-

1. पदों की जानकारी:-

क्र.	संस्था का नाम	व्यवसाय/ विषय का नाम	कुल पदों की संख्या	शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आरंग जिला - रायपुर (छ.ग.)	कोपा	02	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11 वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 2. अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा डीओई (डीओईएसीसी) से "ए" स्तर का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से बीसीए/पीजीडीसीए।	
		वेल्डर	02	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानीपद्धति से 11 वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 2. अभ्यर्थी, संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण।	
		कुल पदों की संख्या	04		

नोट:- विज्ञापन की सम्पूर्ण जानकारी हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के वेबसाइट www.govt.itiarang.ac.in एवं रायपुर एन. आई.सी के वेबसाइट एवं संस्था के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

अंको का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया:-

1. जिन पदों के लिये सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिये एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।(अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
2. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।(अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

उपरोक्त मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रित किये जाने की संपूर्ण कार्यवाही मेहमान प्रवक्ता हेतु संस्थान प्रबंधन समिति शासकीय देवनारायण अग्रवाल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आरंग जिला-रायपुर (छ.ग.) द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार किया जावेगा।

नियम एवं शर्त:-

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप एवं हार्ड कापी में ही जमा करें। संलग्न सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित किया जाये।
2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भाँति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दीजाएगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी स्वयं आवेदक की होगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक/अधीक्षक/सचिव, संस्थान प्रबंधन समिति शासकीय देवनारायण अग्रवाल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आरंग जिला-रायपुर (छ.ग.) पिन कोट 493441 में दिनांक:-10/06/2024 तक कार्यालयीन समय में केवल हार्ड कापी में जमा किया जा सकता है, सॉफ्ट कापी/ई-मेल स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. लिफाफे के ऊपर आवेदित संस्था का नाम एवं व्यवसाय/विषय का नाम स्पष्ट उल्लेखित करें।
6. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री) के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
7. चयन मेरिट आधार पर होगा। चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी। चयन उपरांत दूरभाष आदि द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य कराना होगा। मेहनमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रारंभ होने पर ही अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
8. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत दूरभाष से सूचना प्राप्त होने पर 10 दिवस के भीतर कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उनका चयन निरस्त मानकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक एक को अवसर दिया जावेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।
9. मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित अधीक्षक/सचिव द्वारा लिया जा सकेगा।
10. आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट भरें। दिये गए मोबाईल नंबर पर संपर्क नहीं हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

11. चयनित आवेदकों/मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान यदि उस पद के विरुद्ध शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा नियुक्ति की जाती है तो मेहमान प्रवक्ता की सेवाएं/मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वयमेव समाप्त की जावेगी।
12. मानदेय शासन के नियमानुसार तत्कालिक में संस्थान प्रबंधन समिति (IMC) से किया जायेगा प्रतिमाह अधिकतम रू. 15000/—(रूपये पंद्रह हजार मात्र) मानदेय देय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
13. आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।
14. चयन उपरांत किसी प्रकार की आपराधिक प्रकरण की सूचना मिलने पर तत्काल प्रशिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
15. संबंधित व्यवसाय में शैक्षणिक अनुभवधारियों के उच्च तकनीकी योग्यता को प्रथम एवं द्वितीय में अन्य तकनीकी योग्यता को मेरिट में प्राथमिकता दी जावेगी।
16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में चेयरमेन, संस्थान प्रबंधन समिति शासकीय देवनारायण अग्रवाल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आरंग जिला-रायपुर (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा।

अधीक्षक/सचिव
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आरंग
जिला – रायपुर (छ0ग0)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

संस्था एवं व्यवसाय का नाम
(जिसके लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं)

स्वप्रमाणित फोटो

प्रति,

अधीक्षक / सचिव
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,
आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)
पिन कोड- 493441

1. आवेदक का नाम :
2. पिता / पति का नाम :
3. माता का नाम :
4. जन्मतिथि (अंकों में) :
(शब्दों में) :
5. दूरभाष / मोबाईल नंबर : (1) (2)
6. स्थाई पता :
7. सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण (हां / नहीं) :
8. हल्के मोटरयान (एल.एम.व्ही) का वैध लाइसेंस (हां / नहीं) :
9. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता का विवरण :

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / विवि का नाम	व्यवसाय / विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

टीप:- 1. शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्यतः संलग्न करें।

2. उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है एवं मैं सहमत हूँ कि:-